तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 82/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
24.01.2025	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी उमेदाराम पुत्र श्री देशाराम कुमावत, जाति–कुमावत, निवासी–करण नगर गली नं. 2, शिवगंज, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म विजय मसाला, माणक कॉम्पलेक्स शॉप नं. 7, बस स्टेण्ड रोड़, शिवगंज, जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री विक्रम परिहार उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 29.10.2021 को फर्म विजय मसाला, माणक कॉम्पलेक्स शॉप नं. 07, बस स्टेण्ड रोड़, शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी उमेदाराम पुत्र श्री देशाराम कुमावत, जाति– कुमावत, निवासी–करण नगर गली नं. 2, शिवगंज से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Ghee (Brand- Paramount) का नमूना संख्या S-1527 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर के जांच रिपोर्ट क्रमांकः**L.S./817/Act/2021/980** दिनांक 17.12.2021 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रम परिहार उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी उमेदाराम की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में दिनांक 15.01.2025 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव एवं प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री विक्रम परिहार की बहस सुनी गई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ Ghee (Brand-Paramount) का नमूना संख्या S-1527 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर के जांच रिपोर्ट क्रमांकः**L.S./817/Act/2021/980** दिनांक 17.12.2021 में अमानक (sub-standard) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन एवं उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः प्रतिवादी पर जुर्माना अधिरोपित किया जावे। जबकि प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री विक्रम परिहार ने प्रतिवादी के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ Ghee (Brand- Paramount) की निर्माता कम्पनी को पक्षकार के रुप में संयोजित नही किया है। प्रतिवादी ने Ghee (Brand- Paramount) को शिव शक्ति एन्टर प्राईजेलज जनरल मर्चेन्ट एवं कमिश्न एजेन्ट, समुमेरपुर से जरिये बिल संख्या 846 दिनांक 23.10.2021 से क्रय किया था और उसी अवस्था में था, जो प्रतिवादी ने अपने घरेलु उपयोग के लिये खरीद किया था। ......लगातार	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** F.S.S.Act Case No. 82/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मिथ्या कथन अंकित करते हुए यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया है, जबकि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लेने की कार्यवाही विधि अनुसार सम्पादित नही की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा को उक्त नमूना लेने का कोई अधिकार नही था और खाद्य सुरक्षा अधिकारी उक्त कार्यवाही करने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों की पालना में योग्य नही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने पदीय कर्तव्यों का दुरुपयोग कर उक्त कार्यवाही की है। अतः आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।

हमनें प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 29.10. 2021 को समय 5–00 पी.एम. पर फर्म विजय मसाला, माणक कॉम्पलेक्स शॉप नं. 7, बस स्टेण्ड़ रोड़, शिवगंज, जिला– सिरोही में खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर की हैसियत से प्रतिवादी उमेदाराम पुत्र श्री देशाराम कुमावत, जाति– कुमावत, निवासी– करण नगर गली नं. 2, शिवगंज उपस्थित मिले। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म विजय मसाला की दुकान के निरीक्षण के दौरान फर्म विजय मसाला की दुकान के अन्दर आलमारी के रैक में आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Ghee (Brand- Paramount) के 12 पैक्ड प्लास्टिक कंटेनरों (प्रत्येक 1000 एम.एल.) में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की सूचना प्रतिवादी विक्रेता उमेदाराम पुत्र श्री देशाराम कुमावत को प्रपत्र 5ए में गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म विजय मसाला की दुकान में आलमारी की रैक में आमजन की बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Ghee (Brand- Paramount) के 12 पैक्ड प्लास्टिक कंटेनरों में से खाद्य पदार्थ Ghee (Brand- Paramount) के 4 पैक्ड प्लास्टिक कंटेनरों (प्रत्येक 1000 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष कीमतन क्रय किया एवं उसकी कीमत राशि रुपये 1440/– (अक्षरे रुपये एक हजार चार सौ चालीस मात्र) अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1527, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ Ghee (Brand- Paramount) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता उमेदाराम पुत्र श्री देशाराम कुमावत एवं उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने हस्ताक्षर किये। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन

.....लगातार

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** F.S.S.Act Case No. 82/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा Ghee (Brand- Paramount) के चारों पैक्ड प्लास्टिक कंटेनरों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा खरीदशुदा Ghee (Brand- Paramount) के प्रत्येक पैक्ड प्लास्टिक कंटेनरों के नमूनों पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं एवं क्रम संख्या S-1527 उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता उमेदाराम पुत्र श्री देशाराम कुमावत व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता उमेदाराम पुत्र श्री देशाराम कुमावत व उक्त गवाह तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा के हस्ताक्षर किये हुए है। तत्पश्चात् श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 30.10.2021 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री विश्वजीत सिंह, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 30.10.2023 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म विजय मसाला, माणक कॉम्पलेक्स शॉप नं. 07, बस स्टेण्ड रोड, शिवगंज में प्रतिवादी विक्रेता उमेदाराम पुत्र श्री देशाराम कुमावत से खाद्य पदार्थ Ghee (Brand-Paramount) के 1000–1000 एम.एल. के पैक्ड प्लास्टिक कंटेनरों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Ghee (Brand- Paramount) का नमूना संख्या S-1527 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:**L.S./817/Act/2021/980** दिनांक 17.12.2021 में अमानक (sub-standard) पाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी उमेदाराम पुत्र श्री देशाराम कुमावत द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य पदार्थ Ghee (Brand- Paramount) के 1000–1000 एम.एल. के पैक्ड प्लास्टिक कंटेनरों के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया

.......लगातार

न्यायालय मु० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

पीठा. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** F.S.S.Act Case No. 82/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

गया एवं न ही ऐसा कोई बिल इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी उमेदाराम पुत्र श्री देशाराम कुमावत, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म विजय मसाला, माणक कॉम्प्लेक्स शॉप नं. 7, बस स्टेण्ड़ रोड़, शिवगंज ने अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Ghee (Brand- Paramount) के 1000–1000 एम. एल. के पैक्ड प्लास्टिक कंटेनरों का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Ghee (Brand- Paramount) के विक्रय हेतु प्रतिवादी उमेदाराम पुत्र श्री देशाराम कुमावत, जाति–कुमावत, निवासी– करण नगर गली नं. 2, शिवगंज, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म विजय मसाला, माणक कॉम्पलेक्स शॉप नं. 7, बस स्टेण्ड़ रोड़, शिवगंज, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 35,000/– (अक्षरे रुपये पैतीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी उमेदाराम पुत्र श्री देशाराम कुमावत को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 28.02.2025 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

अति. जिला मजिस्ट्रेट

सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)